

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 795

दिनांक:- 9/4/2025

आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 694 दिनांक 26.03.2025 के द्वारा माह अप्रैल, 2025 में दिनांक 13.04.2025 एवं 14.04.2025 को राजकीय अवकाशों के दिन जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र की सीमा में जयपुर व बस्सी मुख्यालय पर उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्यों से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई करने हेतु जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के जयपुर मुख्यालय पर स्थित न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर महानगर प्रथम के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया गया था।

उक्त पीठासीन अधिकारी के उक्त दिवसों पर उपलब्ध ना हो पाने के कारण जयपुर व बस्सी मुख्यालय का दिनांक 13.04.2025 एवं 14.04.2025 को आवश्यक फौजदारी कार्य करने हेतु रिजर्व ड्यूटी हेतु अधिकृत अधिकारी सुश्री ऋचा अग्रवाल, न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर प्रथम को अधिकृत किया जाता है।

—sd—


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:-

क्रमांक:- 796 to 803

दिनांक:- 9/4/2025

- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर निवेदन है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी को उक्त अवकाश दिवस का मुख्यालय परित्याग की अनुमति प्रदान की गई हो तो कृपया उसे निरस्त करने की कृपा करें।
- सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
- दी बार एसोसियेशन, बनीपार्क/सांगानेर, जयपुर।
- न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम (दक्षिण)/न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-8, जयपुर महानगर प्रथम।
- पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को प्रतिलिपि भेज कर लेख है कि समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किया जावे।
- आदेश पत्रावली/कार्यालय प्रति।
- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश से सम्बन्धित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/पुलिस विभाग के अधिकारीगण/समस्त आरक्षी केन्द्र, जयपुर महानगर आदि सभी को ई-मेल/मैसेज के द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी के सम्बन्ध में सूचित कर इस कार्यालय को सूचित करें।
- वरिष्ठ लिपिक, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम।